

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)
क्रमांक : प.1(क)(18)कार्मिक / आर.एम.एस. / डी.एल.बी. / 24 / 5932

दिनांक : 08/05/25

आदेश

वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत विभाग के अधीन निदेशालय, उप निदेशक (क्षेत्रीय) कार्यालयों एवं समस्त नगरीय निकायों के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के पूर्व में स्वीकृत सभी प्रकार के अवकाशों को एतद्वारा निरस्त किया जाता है। अवकाश पर गए हुए समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अविलम्ब अपने कार्य स्थल पर लौटकर अपना कार्यभार ग्रहण करें। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि निदेशालय, उप निदेशक (क्षेत्रीय) कार्यालयों एवं समस्त नगरीय निकायों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को बिना निदेशालय / जिला कलक्टर की पूर्व अनुमति के अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावे।

उक्त आदेश की कठोरता से पालना की जावे।

(इन्द्रजीत सिंह)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक : प.1(क)(18)कार्मिक / आर.एम.एस. / डी.एल.बी. / 24 / 5933-6619 दिनांक : 08/05/25
प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
04. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
05. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
06. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, आयुक्त/अधिशायी अधिकारी, नगर निगम/परिषद / पालिका, समस्त राजस्थान।
07. संयुक्त निदेशक (आई.टी)/सिस्टम एनालिस्ट, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
08. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय को प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशन हेतु।
09. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव